न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 07 / 2025
निर्णय दिनांक : 10.06.2025
GCMS NO : 2025/14

राजाराम पुत्र भीकाराम जाति नायक निवासी ग्राम भारीना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिस्सु एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला—चूरू सत्यमेव जयते

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेतं खाता संख्या 167 के खसरा संख्या 227 तादादी 7.1191 हैक्टेयर व खसरा संख्या 229 तादादी 4.6786 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.7977 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भासीना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम राजूराम पुत्र भीकाराम दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम राजाराम पुत्र भीकाराम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम भाषीना में प्रार्थी का नाम राजूराम पुत्र भीकाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम राजाराम पुत्र भीकाराम दर्ज है। राजूराम एवं राजाराम एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी नाम राजाराम पुत्र भीकाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम राजाराम पुत्र भीकाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 167 के खसरा संख्या 227 तादादी 7.1191 हैक्टेयर व खसरा संख्या 229 तादादी 4.6786 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 11.7977 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम भासीना तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज प्रार्थी का नाम राजूराम पुत्र भीकाराम के स्थान पर राजाराम पुत्र भीकाराम दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जिला–चूरू